

रोपामें

~~क्रमांक १०
दिनांक ११/१०~~

मुख्य जन सुन्यना पदाधिकारी
पावर मित्र कारपोरेशन आॅफ
इंडिया लिमिटेड
लाइन-२, सेक्टर-२९, गुडगांव
ठारिमाणा-१२२००१

विषय :- R.T.I Rules 2005 के तहत जानकारी के संबंध में

महाराष्ट्र

निवेदन ०७ कि R.T.I Rules 2005

के तहत मुझे निम्न जानकारी देने की कृपा करें।

- (1) पावर मित्र के अधिन बनने वाले जितने Switch-Yards हैं, को बनाने वाले Contractors / Sub-Contractors किस Labour Act का पालन करते हैं।
- (2) Labour Act के अनुसार Labour को क्या-क्या सुविधाएँ दियाती हैं।
- (3) आपके यहाँ कार्यरत कई Sub-Contractors सैकट्टा Labour का मजदुरी APRIL 2012 से नहीं दिए हैं, तो क्या Principal employer होने के नीते आपका क्या फैसला है।
- (4) The Contract Labour, Central Rule 1971 के अनुसार कार्यस्थाल के बजाल

- ②
- में construction and Maintenance of
Creches करना है तो क्या आपके द्वारा
निम्न Site :-
- Gaya - 220 KV, 765 KV, 400 KV
 - Bhivani - 220 KV, 765 KV, 400 KV
 - Fatehpur (U.P) - 220 KV, 765 KV, 400 KV
 - Sasaram - 220 KV, 132 KV, 765, 400 KV
 - Moruth (Dowrula) - 765 KV etc.
 - Chibasha - 400 KV etc.

पर स्थान कि गई है

या नहीं,

- ⑤ आपके यहाँ कार्यरत Sub-Contractor
सिमित कार्य-बल, सिमित मशिनरी एवं अन्य
संसाधनों के द्वारा कार्य करते हैं, तो एक
Sub-Contractor उसी सिमित संसाधनों
के द्वारा एक साथ किसी जगत पर कार्य
कर सकता है।
- (6) आपके यहाँ बनने वाले Switch-Yard जो
पालु छालत में है या charge Area है और
यहाँ आज भी Civil work के रहा है
तो यहाँ हर समय इतरा रहता है, और

(3)

Sub-contractor द्वारा आज भी कार्य कराया जा रहा है, तो कोई भी खतरा या दुष्पर्णा हो सकता है, तो मुझे जानकारी होने की छपाकों कि विधुत-प्रवाह लेंस में बिना विधुत-प्रवाह क्षेत्र बंद हुए क्यों कार्य कराया जा रहा है और उससे होने वाले घटनाओं का जिम्मेवार कोन होगा।

⑦ आपके यहाँ कार्यरत् एक Sub -Contractor अपने सिमित संसाधनों को प्रभावित सभी जगह दिखाते हुए बताना है,

(i) Gajra (ii) Fatehpur (iii) Sasaram (iv) Bhilai
 (v) Meruhat में सभी Power Grid एवं

(i) Mukundpur (ii) Jahangirpuri (iii) INA
 (iv) Kalkaji में सभी Delhi में DMRC

का 66 KV Sub Station एवं Anuppur (M.P.)

Mosorbari का कार्य कर रहा है, तो भी जानना चाहता हूँ, उतने ही संसाधन के बल पर एक साथ कोई कौसे कार्य नहीं होता है एक समय में।

(8) आपके यहाँ कार्यरत हैं Sub-Contractor जो इर Site पर नभा-नभा Labour लाता है वह पुराने वालों को पैसा नहीं देता है तो Kerala High Court के Contractor Refuse to pay (~~Section 21(4)~~) [Section 21(4)] of the Act. Case of Benani Zinc Ltd (1989 LLR 123) के अनुसार सभी Labour का पैसा आपको देना चाहिए तो वह आप पैसा देंगे।

अतः जी मान से निवेदन है कि आप मुझे उपलब्ध बिषयों पर जानकारी देने की मद्दत करें।

कुल प्रभ-04
(पार्ट)

संलग्न:-

10 फॉर्म

क्र 1 P.D.

NO-

11 F-072006

मिशनार्थ
7/10/18

आपका

प्रेस क्लब सिंह

C/o - Active the Group of
Educational & Social
Welfare Samsthan

Alt+PO - Kolhuari

VIA - DARDUNDA

DIST - SIWAN
BIHAR, mob NO-
9162618808

PIN NO-(841283)